प्रेस नोट दिनांक- 04.10.2020

(1). पुलिस अधीक्षक श्री अंकित मित्तल जनपद चित्रकूट के निर्देशन में कोविड-19 से बचाव हेतु चलाये जा रहे जागरुकता एवं चेकिंग अभियान में दिनाँक 03.10.2020 को जनपद चित्रकूट के समस्त थाना क्षेत्रों में कोरोना वायरस के सम्बन्ध में शासन द्वारा जारी गाइडलाइन एवं आदेश-निर्देशों के उल्लंघन एवं मास्क न लगाने पर कोतवाली कर्वी में 09 व्यक्तियों के विरुद्ध, थाना पहाड़ी में 06 व्यक्तियों के विरुद्ध तथा थाना राजापुर में 06 व्यक्तियों के विरुद्ध धारा 188/269 भादवि के तहत अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक कार्यवाही की गयी। जनपदवासियों से अपील की जाती है कि कोरोना वायरस के सम्बन्ध में शासन द्वारा जारी गाइडलाइन एवं आदेश-निर्देशों का पालन करें।

(2). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में अवैध शराब निर्माण एवं बिक्री की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में श्री सुशील चंद्र शर्मा प्रभारी निरीक्षक रैपुरा के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री असलम खान तथा उनके हमराही द्वारा अभियुक्त छोटेलाल पुत्र महाराज निवासी कस्बा व थाना रैपुरा को 25 क्वार्टर देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना रैपुरा में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया।

बरामदगीः-

25 क्वार्टर देशी शराब

बरामदगी करने वाली टीमः-

1.उ0नि0 श्री असलम खां थाना रैपुरा

2. मुख्य आरक्षी हफीज़ खां